महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17–01–2015 का कार्यवृत्त

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17–01–2015 को सायं 06:00 बजे माननीय कुलपति जी अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1.	डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 श्रद्धानन्द, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय	–	सदस्य
3.	प्रो0 कल्पलता पाण्डेय, संकायाध्यक्षा, शिक्षाशास्त्र संकाय	–	सदस्य
4.	डॉ0 चतुर्भुजनाथ तिवारी, (प्रतिनिधि) संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	–	सदस्य
5.	प्रो0 सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	–	सदस्य
6.	डॉ0 देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, संकायाध्यक्ष, कृषि विज्ञान संकाय	–	सदस्य
7.	प्रो0 आर0पी0 सिंह, संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण संकाय	–	सदस्य
8.	डॉ0 अशोक कुमार पाण्डेय, प्राचार्य, श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया	–	सदस्य
9.	डॉ0 अरविन्द कुमार राम, प्राचार्य, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, भदोही।	–	सदस्य
10.	डॉ0 अवधेश सिंह, अध्यक्ष–सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
11.	डॉ0 श्रीरंग नाथ मिश्र, महामंत्री–सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
12.	श्री ओम प्रकाश, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य–सचिव

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिए गए :–

कार्य सूची–01 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11–08–2014 की कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11–08–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्य सूची–02 परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 15–09–2014 की कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 15–09–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्य सूची–03 परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 14–10–2014 की कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 14–10–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्य सूची–04 परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 18–11–2014 की कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 18–11–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्य सूची–05(क). परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 18–11–2014 के निर्णय संख्या–07 (अध्यक्ष की अनुमति से) के अनुसार अधोलिखित शोधार्थियों को दीक्षान्त समारोह–2014 में शोध उपाधि प्रदान किए जाने की सूचना।

विषय :— हिन्दी

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री वन्दना यादव VANDANA YADAV	डॉ0 रामाश्रय सिंह	दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्रीय निकष और प्रेमचन्द का दलित चिन्तन	19—11—2014

विषय :— दर्शनशास्त्र

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री निर्मला गौतम NIRMALA GAUTAM	डॉ0 पिताम्बर दास	बौद्ध एवं जैन दर्शन में दुःख की अवधारणा	19—11—2014

निर्णय :— उपरोक्त छात्रों को दीक्षान्त समारोह—2014 में प्रदान की गई स्थाई उपाधि का अनुमोदन किया गया।

(ख). विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध मौखिकी सम्पन्न होने के उपरान्त अधोलिखित शोधार्थियों को उपाधि प्रदान किए जाने पर विचार।

विषय :— हिन्दी

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री अरविन्द कुमार ARVIND KUMAR	डॉ0 रामाश्रय सिंह	मध्यकालीन निर्गुण काव्य में सामाजिक चिन्तन	16—01—2015

विषय :— इतिहास

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह RAGHVENDRA PRATAP SINGH	डॉ0 जया कुमारी आर्यन	बौद्ध धर्म में महायान शाखा का विकास (एक ऐतिहासिक अध्ययन)	07—01—2015

विषय :— दर्शनशास्त्र

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री अल्पना जायसवाल ALPANA JAISWAL	प्रो0 गीतारानी अग्रवाल	ईश्वरवादी धर्मों में अशुभ की समस्या : एक समीक्षात्मक अध्ययन (हिन्दू, ईसाई एवं इस्लाम धर्म के विशेष सन्दर्भ में)	17—01—2015

विषय :— अर्थशास्त्र

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री दीपशिखा DEEPSHIKHA	प्रो0 श्रीमन पाण्डेय	उत्तर प्रदेश के संपोषी विकास में वैकल्पिक ऊर्जा का योगदान (सौर ऊर्जा के विशेष सन्दर्भ में)	08—01—2015

विषय :— मनोविज्ञान

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री संध्या राय SANDHYA RAI	प्रो0 लोक नाथ सिंह	MENTAL HEALTH, EMOTINAL AND BEHAVIOURAL PROBLEMS OF ADOLESCENTS IN RELATION TO FAMILY VIOLENCE	13—01—2015

विषय :– विधि

क्र. सं.	छात्र / छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री अवनीश कुमार पाण्डेय AVANISH KUMAR PANDEY	डॉ0 चतुर्भुजनाथ तिवारी	The Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights in India : A Critical Study	17–01–2015

निर्णय :– समिति ने उपरोक्त शोधार्थियों को पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति दिया।

कार्य सूची–06 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11–08–2014 में उड़ाका दल की रिपोर्ट पर विचारोपरान्त निर्णय संख्या–02(क) के अर्न्तगत सामूहिक नकल में आरोपित अधोलिखित महाविद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण मा0 कुलपति जी द्वारा नियुक्त परीक्षकों से कराने के पश्चात प्राप्त आख्या पर विचार।

1. माँ खण्डवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चहनियॉ, चन्दौली (208)
2. बसंत राम नगीना स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धरांव, चन्दौली (214)
3. राम ललित सिंह महाविद्यालय, कैलहट, चुनार, मिर्जापुर (426)

(अग्रेतर उल्लेखनीय है कि पं0 शान्ति भूषण महाविद्यालय, गजोखर, वाराणसी (161) के सम्बन्ध में उड़ाका दल की अपूर्ण आख्या होने के कारण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11–08–2014 के निर्णय संख्या–02(ख) के अनुसार उड़ाका दल के सदस्यों से स्पष्ट आख्या मांगी गई थी किन्तु जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतएव उक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में भी निर्णय लेना चाहें।)

निर्णय :– **i. परीक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। परीक्षकों द्वारा दी गई आख्या संतोषजनक एवं तथ्यपरक न होने के कारण प्रत्येक विषय के लिए दो–दो परीक्षक नियुक्त कर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः परीक्षण कराने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

ii. पं0शान्ति भूषण महाविद्यालय, गजोखर, वाराणसी के सम्बन्ध में उड़ाका दल के सदस्यों से स्पष्ट आख्या प्राप्त करने हेतु स्मरण पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

iii. आगामी परीक्षा से उड़ाका दल द्वारा सामूहिक नकल के सम्बन्ध स्पष्ट आख्या प्राप्त होने पर उड़ाका दल की रिपोर्ट को ही अन्तिम मानते हुए महाविद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

iv. परीक्षा के उपरान्त प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के साथ ही परीक्षा कक्षों में परीक्षार्थियों के बैठने के सीटिंग चार्ट एवं उपस्थिति प्रपत्र की प्रति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

कार्य सूची–07 वर्ष 2014 की वार्षिक परीक्षा में नकल में आरोपित 1215 परीक्षार्थियों तथा सेमेस्टर परीक्षा में 128 परीक्षार्थियों के नकल अध्यादेश के अन्तर्गत परीक्षा निरस्त करने पर विचार।

निर्णय :– **परीक्षा समिति ने परीक्षणोंपरान्त नकल में आरोपित समस्त 1215 परीक्षार्थियों का सम्पूर्ण परीक्षा एक वर्ष के लिए तथा सेमेस्टर के 128 परीक्षार्थियों का सम्बन्धित सेमेस्टर की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त करने तथा भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में पुनः परीक्षा**

देने की अनुमति प्रदान की गई।

कार्य सूची–08 वार्षिक परीक्षा वर्ष–2015 के स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ खण्ड तथा स्नातकोत्तर द्वितीय खण्ड की समय सारिणी के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :– वार्षिक परीक्षा–2015 दिनांक 02 मार्च, 2015 से प्रारम्भ करने हेतु समय–सारणी का अनुमोदन करते हुए आवश्यकतानुसार किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन करने के लिए मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

कार्य सूची–09 एम0ए0 द्वितीय खण्ड राजशास्त्र एवं इतिहास के कुछ परीक्षार्थियों द्वारा वर्ष–2014 की परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पत्र समूहों के गलत चयन कर लिए जाने के कारण अवरूद्ध परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

(अग्रेतर उल्लेखनीय है कि एम0ए0 द्वितीय खण्ड राजनीति विज्ञान में पाँच वैकल्पिक वर्गों में से किसी एक वर्ग के दो प्रश्न पत्रों का चयन करना होता है किन्तु कुछ परीक्षार्थियों द्वारा दोनों प्रश्न पत्र अलग–अलग वर्ग से चयन कर लिया गया है। इसी प्रकार एम0ए0 द्वितीय खण्ड प्राचीन इतिहास के कुछ छात्रों द्वारा भी अलग–अलग वर्गों से प्रश्न पत्रों का चयन कर लिया गया है।)

निर्णय :– (क). उक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि जिन परीक्षार्थियों द्वारा वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का चयन अलग–अलग वर्गों से कर लिया गया है। ऐसे समस्त परीक्षार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु किसी एक ही वैकल्पिक वर्ग के दोनों प्रश्न पत्रों का चयन करते हुए उसके दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा वर्ष–2015 के साथ देने की सुविधा प्रदान की गई।

(ख.) साथ ही एम0ए0 द्वितीय खण्ड (व्यक्तिगत परीक्षार्थी) इतिहास एवं प्राचीन इतिहास के उन छात्रों को जिनके द्वारा प्रथम वर्ष में विश्वविद्यालय परिसर हेतु स्वीकृत पाठ्यक्रम का चयन किया गया था किन्तु द्वितीय वर्ष में महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम का चयन कर लिया गया था। इसी प्रकार कुछ छात्रों द्वारा एम0ए0 प्रथम खण्ड (व्यक्तिगत परीक्षार्थी) महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम का चयन कर लिया गया था तथा द्वितीय खण्ड में उनके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्वीकृत पाठ्यक्रम का चयन कर परीक्षा में सम्मिलित हो गए थे। ऐसे समस्त परीक्षार्थियों को वर्ष–2015 की परीक्षा में प्रथम खण्ड में चयन किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार पुनः द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई।

कार्य सूची–10 सुश्री प्रियांशु सिंह बी0सी0ए0 तृतीय सेमेस्टर जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी (110) की प्रथम प्रश्न पत्र में कई प्रश्नों के मूल्यांकन में परीक्षक द्वारा शून्य अंक प्रदान किए जाने पर सम्बन्धित उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति द्वारा सुश्री प्रियांशु सिंह द्वारा पुनः उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया।

कार्य सूची–11 सुश्री अंकिता बी0ए0 तृतीय वर्ष काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही की सत्र 2009–10 की पूर्वांचल विश्वविद्यालय की छूटी हुई परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

(अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री अंकिता मिश्रा द्वारा बी0ए0 प्रथम खण्ड–2008

तथा बी0ए0 द्वितीय खण्ड–2009 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण है। अपने प्रार्थना पत्र में उन्होने उल्लेख किया है कि 45 प्रतिशत से अधिक शरीर जल जाने के कारण आगे की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकी। इस कारण बी0ए0 तृतीय वर्ष की छूटी हुई परीक्षा वर्ष–2015 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा सम्पन्न कराने का आग्रह किया है।)

निर्णय :– **सुश्री अंकिता के प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश के सहानुभूतिपूर्वक विचार करने सम्बन्धी पत्र को संज्ञान में लेते हुए सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सुश्री अंकिता से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्राप्त करते हुए विशेष परिस्थिति में पाँच वर्ष में बी0ए0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने की बाध्यता को शिथिल करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पाठ्यक्रम के अनुसार बी0ए0 तृतीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि सुश्री अंकिता का बी0ए0 तृतीय खण्ड का परीक्षाफल कुलसचिव, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा सत्यापित बी0ए0 प्रथम एवं द्वितीय खण्ड का टेबुलेशन चार्ट प्राप्त होने के पश्चात ही घोषित किया जाएगा।**

कार्य सूची–12 प्राचार्य, शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, चन्दौली का पत्र गुड़िया यादव के परीक्षाफल घोषित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

(अग्रेतर उल्लेखनीय है कि प्राचार्य, शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, चन्दौली ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि त्रुटिवश महाविद्यालय द्वारा श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रामविलास गुप्त के बी0ए0 द्वितीय खण्ड द्वारा भरे गए आनलाईन परीक्षा फार्म की प्रति अग्रसारित कर विश्वविद्यालय भेज दिया गया था, जबकि वे महाविद्यालय के नियमित छात्र नहीं थे। इनकी संख्या को सम्मिलित करते हुए परीक्षा शुल्क भी जमा कर दिया गया था। विश्वविद्यालय से दूरभाष पर वार्ता के पश्चात श्री मनोज कुमार का प्रवेश पत्र निरस्त कर परीक्षा आवेदन पत्र भरने से वंचित रह गई सुश्री गुड़िया यादव पुत्री श्री भैरोनाथ यादव को महाविद्यालय स्तर से प्रवेश पत्र निर्गत कर परीक्षा में सम्मिलित कर लिया गया। टेबुलेशन चार्ट में नाम अंकित कर परीक्षाफल घोषित करने की मांग की गई है।)

निर्णय :– **सुश्री गुड़िया यादव द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त करते हुए प्राचार्य द्वारा मनमाने ढंग से अनुक्रमांक आवंटित कर परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के कृत को स्वेच्छाचारिता मानते हुए परीक्षा समिति ने प्राचार्य, शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, चन्दौली पर रू.10,000/–अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया।**

कार्य सूची–13 सुश्री जूली अमला पुत्री श्री सी0डी0 अमला, विश्वनाथ सिंह महाविद्यालय, परशुरामपुर, चन्दौली की बी0ए0 द्वितीय खण्ड–2013 की छूटी हुई बैक परीक्षा वर्ष–2015 में कराये जाने की अनुमति प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

(अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री जूली अमला ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि महाविद्यालय द्वारा विलम्ब से बैक का अंक पत्र प्रदान करने के कारण मैं वर्ष–2013 की बैक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकी किन्तु महाविद्यालय द्वारा वर्ष–2014 में बी0ए0 तृतीय वर्ष का परीक्षा दिला दिया गया। बी0ए0 द्वितीय खण्ड

उत्तीर्ण न हो पाने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा इनके बी0ए0 तृतीय खण्ड–2014 का परीक्षाफल रोक दिया गया है।)

निर्णय :– **सुश्री जूली अमला के प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात परीक्षा समिति ने महाविद्यालय द्वारा बिना बी0ए0 प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हुए बी0ए0 द्वितीय खण्ड एवं तृतीय खण्ड के परीक्षा फार्म अग्रसारित करने को घोर लापरवाही एवं स्वेच्छारिता मानते हुए विश्वनाथ सिंह महाविद्यालय, परशुरामपुर, चन्दौली को रू.10,000/–का अर्थदण्ड लगाते हुए सुश्री जूली अमला के बी0ए0 द्वितीय एवं तृतीय खण्ड के अंक को संरक्षित रखते हुए वर्ष–2015 की परीक्षा में बी0ए0 प्रथम खण्ड की सम्पूर्ण परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किया।**

कार्य सूची–14 श्री रजनीकान्त मिश्र, एल0एल0बी0, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी का द्वितीय सेमेस्टर की छूटी हुई बैक पेपर की परीक्षा पुनः कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

(अग्रेतर उल्लेखनीय है कि श्री रजनीकान्त मिश्र, एल0एल0बी0 की सभी छः सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके है। इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि पिता जी की मृत्यु के कारण सत्र 2009–10 की एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। जिसके कारण छठें सेमेस्टर का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा रोक दिया गया है।)

निर्णय :– **परीक्षा समिति ने श्री रजनीकान्त मिश्र के प्रार्थना पत्र पर सम्यक विचारोंपरान्त एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा पुनः देने की अनुमति प्रदान करते हुए विधि विभाग से बिना द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण हुए पाँचवे एवं छठें सेमेस्टर का परीक्षा फार्म अग्रसारित करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।**

कार्य सूची–15 श्री शशिकान्त, एल0एल0बी0, हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी द्वारा प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों में बैक परीक्षा में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रश्न पत्र के अंक को मान्य करते हुए उत्तीर्ण करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

(अग्रेतर उल्लेखनीय है कि श्री शशिकान्त को एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर वर्ष–2011 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में नियमानुसार न्यूनतम 36 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे किन्तु सम्पूर्ण अंक 45 प्रतिशत से कम होने के कारण पंचम प्रश्न पत्र में बैक की सुविधा प्रदान की गई थी किन्तु श्री शशिकान्त द्वारा चतुर्थ एवं पंचम दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी गई, जिसमें इन्हे क्रमशः 56 एवं 46 अंक प्राप्त हुआ। पंचम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक जोड़ने पर इनका सम्पूर्णांक 45 प्रतिशत से कम हो रहा। चतुर्थ प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक जोड़ने पर सम्पूर्णांक 45 प्रतिशत हो जाएगा। कोलेशन की त्रुटि के कारण पूर्व में इन्हें चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जा चुका था जिसके आधार पर इनके द्वारा आगामी सभी सेमेस्टरों की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है। किन्तु बाद में संज्ञान में आने पर पंचम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक अंकित करते हुए एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर के परीक्षाफल संशोधित करते हुए अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है।)

निर्णय :– **श्री शशिकान्त के प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने बैक पेपर की परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रश्न पत्र का अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया। साथ ही श्री शशिकान्त द्वारा दो प्रश्न पत्रों की बैक**

परीक्षा में सम्मिलित हो जाने के सम्बन्ध में प्राचार्य, हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

कार्य सूची–16 श्री पदमेन्द्र कुमार झा, एल0एल0बी0, मॉ खण्डवारी विधि महाविद्यालय, चहनियॉ, चन्दौली के चतुर्थ सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित किए जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय :– श्री पदमेन्द्र कुमार झा द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एल0एल0बी0 चतुर्थ सेमेस्टर की द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र की मांगी गई उत्तर पुस्तिकाओं के न मिलने की स्थिति में परीक्षा समिति द्वारा श्री झा को आगामी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ पुनः द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र में बैक पेपर की सुविधा प्रदान की गई।

कार्य सूची–17 श्री पंकज त्रिपाठी, एल0एल0बी0, मॉ खण्डवारी विधि महाविद्यालय, चहनियॉ, चन्दौली द्वारा एल0एल0बी0 प्रथम एवं चतुर्थ सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण बैक पेपर में पुनः परीक्षा देने की अनुमति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय :– श्री पंकज त्रिपाठी के प्रार्थना पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने एल0एल0बी0 प्रथम एवं चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों की पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किया।

कार्य सूची–18 सुश्री पूजा सिंह, के0एन0 राजकीय पी0जी0 कालेज, भदोही, एम0एस0सी0 जन्तु विज्ञान प्रथम वर्ष–2013 के छठे प्रश्न पत्र की छूटी हुई बैक परीक्षा में पुनः परीक्षा देने की अनुमति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

(अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री पूजा सिंह द्वारा वर्ष–2014 में एम0एस0सी0 जन्तु विज्ञान द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी है।)

निर्णय :– सुश्री पूजा सिंह के प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सुश्री सिंह पर रू.5000/–का अर्थदण्ड लगाते हुए एम0एस0सी0 प्रथम खण्ड के छुटे हुए प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा वार्षिक परीक्षा–2015 में देने की अनुमति प्रदान किया।

कार्य सूची–19 प्राचार्य, महादेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरियासनपुर, वाराणसी के पत्र दिनांक 15–10–2014 द्वारा स्पेशल बैक पेपर की परीक्षा सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में छः बिन्दुओं के मांग पत्र पर विचार।

निर्णय :– प्राचार्य, महादेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरियासनपुर, वाराणसी के पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने बिन्दुवार अधोलिखित निर्णय लिया :–

I. श्री दिपू कुमार भारद्वाज बी0ए0 प्रथम खण्ड अनुक्रमांक–12513100115 को वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0ए0 प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में बैक परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई।

II. श्री सुजीत कुमार भारद्वाज बी0ए0 प्रथम खण्ड अनुक्रमांक–12513100358 को वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0ए0 प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में बैक परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई। महाविद्यालय द्वारा श्री सुजीत कुमार भारद्वाज के बी0ए0 प्रथम खण्ड अनुत्तीर्ण होने के पश्चात भी बी0ए0 द्वितीय खण्ड का परीक्षा फार्म अग्रसारित करने को घोर लापरवाही माना गया।

III. सुश्री बबिता कुमारी बी0ए0 प्रथम खण्ड अनुक्रमांक–12513102077 को वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0ए0 प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में बैक परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई। महाविद्यालय द्वारा सुश्री बबिता कुमारी के बी0ए0 प्रथम खण्ड अनुत्तीर्ण होने के पश्चात भी बी0ए0 द्वितीय खण्ड का परीक्षा फार्म अग्रसारित करने को घोर लापरवाही माना गया।

IV. सुश्री चन्दा बी0ए0 प्रथम खण्ड अनुक्रमांक–12513102085 को वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0ए0 प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में बैक परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की

गई। महाविद्यालय द्वारा सुश्री चन्दा के बी0ए0 प्रथम खण्ड अनुत्तीर्ण होने के पश्चात भी बी0ए0 द्वितीय खण्ड का परीक्षा फार्म अग्रसारित करने को घोर लापरवाही माना गया।

V. श्री दिनेश राजभर बी0ए0 प्रथम खण्ड अनुक्रमांक–12513102091 को वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0ए0 प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में बैक परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई।

VI. श्री राहुल कुमार बी0ए0 द्वितीय खण्ड अनुक्रमांक–12513100558 को वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0ए0 द्वितीय वर्ष के अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में बैक परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई। महाविद्यालय द्वारा श्री राहुल कुमार के बी0ए0 द्वितीय खण्ड अनुत्तीर्ण होने के पश्चात भी बी0ए0 तृतीय खण्ड का परीक्षा फार्म अग्रसारित करने को घोर लापरवाही माना गया।

निर्णय संख्या–19 (II), (III), (IV), एवं (VI) में बिना उत्तीर्ण हुए अगली परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म अग्रसारित किए जाने को घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता मानते हुए महाविद्यालय पर रू.10,000/– का अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया गया।

कार्य सूची–20 प्राचार्य, श्री डी0आर0 महिला महाविद्यालय, मकसूदनपट्टी, ताड़ी, वाराणसी के आवेदन पत्र दिनांक 15–10–2014 द्वारा बी0ए0 प्रथम वर्ष–2013 के छः छात्राओं की बैक परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।

(अग्रेतर उल्लेखनीय है कि उक्त छात्राएं के बी0ए0 प्रथम खण्ड में अनुत्तीर्ण होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय खण्ड वर्ष–2014 का परीक्षाफल रोक दिया गया है।)

निर्णय :– **श्री डी0आर0 महिला महाविद्यालय, मकसूदनपट्टी, ताड़ी, वाराणसी के प्रार्थना पत्र पर सम्यक विचारोंपरान्त परीक्षा समिति ने विश्वविद्यालय की कोलेशन त्रुटि को संज्ञान में लेते हुए अधोलिखित सभी छः छात्राओं क्रमशः सुश्री रीमा देवी अनुक्रमांक–17113100259, सुश्री संगीता पटेल अनुक्रमांक–17113100272, सुश्री सुमन देवी अनुक्रमांक–17113100310, सुश्री सविता देवी अनुक्रमांक–17113100281, सुश्री कल्पना सिंह अनुक्रमांक– 17113100062 एवं सुश्री मन्जु वर्मा अनुक्रमांक–17113100189 को बी0ए0 प्रथम खण्ड में बैक परीक्षा वर्ष–2015 की परीक्षा के साथ देने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही बिना उत्तीर्ण हुए अगली परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म अग्रसारित किए जाने को घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता मानते हुए महाविद्यालय पर रू. 10,000/– का अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया गया।**

कार्य सूची–21 सुश्री रानी मिश्रा, बी0ए0 तृतीय खण्ड–2013 का परीक्षाफल दिनांक 13–10–2014 को घोषित होने के कारण छूटी हुई बैक पेपर की परीक्षा पुनः कराये जाने पर विचार।

निर्णय :– **समिति ने सम्यक विचारोंपरान्त सुश्री रानी मिश्रा को बी0ए0 तृतीय वर्ष की छुटी हुई बैक पेपर की परीक्षा वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।**

कार्य सूची–22 श्री राघवेन्द्र चौबे, बी0ए0 तृतीय खण्ड–2012 की छूटी हुई बैक पेपर की परीक्षा पुनः कराये जाने पर विचार।

निर्णय :– **श्री राघवेन्द्र चौबे के प्रार्थना पत्र पर विचार कर इनकी अस्वस्थता को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा कराये गए चिकित्सा प्रपत्रों की जाँच कर चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ छुटी हुई बैक पेपर की परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई।**

कार्य सूची–23 सुश्री शिवांगी जायसवाल, बी0ए0 द्वितीय खण्ड–2013 में बैक पेपर की परीक्षा नहीं दी है, बी0ए0 तृतीय खण्ड की परीक्षा–2014 में देकर उत्तीर्ण है। बी0ए0 द्वितीय खण्ड में

बैक पेपर परीक्षा कराने पर विचार।

निर्णय :– **सुश्री शिवांगी जायसवाल के प्रार्थना पत्र पर विचार कर उनके बी0ए0 प्रथम एवं तृतीय खण्ड के अंको को संरक्षित रखते हुए वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0ए0 द्वितीय खण्ड की सम्पूर्ण परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करते हुए संजय मेमोरियल वोमेन्स कालेज, वाराणसी द्वारा बिना बी0ए0 द्वितीय खण्ड उत्तीर्ण हुए अगली परीक्षा हेतु फार्म अग्रसारित करने पर रू.10,000/–अर्थदण्ड लगाने का भी निर्णय लिया गया।**

कार्य सूची–24 सुश्री नीलम पटेल, बी0एस0सी0 प्रथम खण्ड–2012 में बैक पेपर परीक्षा दी जिसमें अनुत्तीर्ण है, बी0एस0सी0 द्वितीय खण्ड–2013 में तथा बी0एस0सी0 तृतीय खण्ड–2014 में सम्मिलित हुई है। प्रथम खण्ड में बैक पेपर कराने पर विचार।

निर्णय :– **सुश्री नीलम पटेल के प्रार्थना पत्र पर विचार कर उनके बी0एस0सी0 द्वितीय एवं तृतीय खण्ड के अंको को संरक्षित रखते हुए वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0एस0सी0 प्रथम खण्ड की सम्पूर्ण परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करते हुए संजय मेमोरियल वोमेन्स कालेज, वाराणसी द्वारा बिना बी0एस0सी0 प्रथम खण्ड उत्तीर्ण हुए अगली परीक्षा हेतु फार्म अग्रसारित करने पर रू.10,000/–अर्थदण्ड लगाने का भी निर्णय लिया गया।**

कार्य सूची–25 सुश्री हेमलता पाण्डेय, बी0ए0 प्रथम खण्ड–2013 में बैक योग्य थी जिसकी परीक्षा नहीं दी, बी0ए0 द्वितीय खण्ड–2014 में देकर उत्तीर्ण है। बी0ए0 प्रथम खण्ड में बैक पेपर परीक्षा कराने पर विचार।

निर्णय :– **सुश्री हेमलता पाण्डेय के प्रार्थना पत्र पर विचार कर उनके बी0ए0 द्वितीय खण्ड के अंको को संरक्षित रखते हुए वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0ए0 प्रथम खण्ड की सम्पूर्ण परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करते हुए संजय मेमोरियल वोमेन्स कालेज, वाराणसी द्वारा बिना बी0ए0 प्रथम खण्ड उत्तीर्ण हुए अगली परीक्षा हेतु फार्म अग्रसारित करने पर रू.10,000/–अर्थदण्ड लगाने का भी निर्णय लिया गया।**

कार्य सूची–26 सुश्री छाया शर्मा, बी0ए0 द्वितीय खण्ड–2013 में बैक योग्य थी जिसकी परीक्षा नहीं दी, बी0ए0 तृतीय खण्ड की परीक्षा–2014 में दी है। बी0ए0 द्वितीय खण्ड में बैक पेपर परीक्षा कराने पर विचार।

निर्णय :– **सुश्री छाया शर्मा के प्रार्थना पत्र पर विचार कर उनके बी0ए0 प्रथम एवं तृतीय खण्ड के अंको को संरक्षित रखते हुए वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0ए0 द्वितीय खण्ड की सम्पूर्ण परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करते हुए संजय मेमोरियल वोमेन्स कालेज, वाराणसी द्वारा बिना बी0ए0 द्वितीय खण्ड उत्तीर्ण हुए अगली परीक्षा हेतु फार्म अग्रसारित करने पर रू.10,000/–अर्थदण्ड लगाने का भी निर्णय लिया गया।**

कार्य सूची–27 श्री टिंकू सोनकर, के0बी0 पी0जी0 कालेज, मिर्जापुर द्वारा बी0ए0 प्रथम खण्ड–2011 के अनुत्तीर्ण बैक पेपर में स्पेशल बैक की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

(अग्रेतर उल्लेखनीय है कि श्री टिंकू सोनकर बी0ए0 प्रथम खण्ड वर्ष–2011 की बैक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बावजुद भी बी0ए0 द्वितीय खण्ड–2012 एवं बी0ए0 तृतीय खण्ड–2013 की परीक्षा में सम्मिलित हुए।)

निर्णय :– **श्री टिंकू सोनकर के प्रार्थना पत्र पर विचार कर उनके बी0ए0 द्वितीय एवं तृतीय खण्ड के अंको को संरक्षित रखते हुए वार्षिक परीक्षा–2015 के साथ बी0ए0 प्रथम खण्ड की सम्पूर्ण परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करते हुए के0बी0 पी0जी0 कालेज, मिर्जापुर द्वारा बिना बी0ए0 प्रथम खण्ड उत्तीर्ण हुए अगली परीक्षा हेतु फार्म अग्रसारित करने पर रू.**

10,000/–अर्थदण्ड लगाने का भी निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से –

निर्णय 28 :– सुश्री रंजीता शाही, एम0फिल0 इतिहास विभाग के लघु शोध प्रबन्ध मूल्यांकन करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि सत्र 2004–05 में मेरे द्वारा लघु शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु इतिहास विभाग में जमा किया गया था। जिसके मूल्यांकन का शुल्क भी मेरे द्वारा जमा कर दिया गया था किन्तु मुझे इसका अंक प्रदान नहीं किया गया। सुश्री शाही के प्रार्थना पत्र एवं संलग्न साक्ष्यों पर परीक्षा समिति विचार कर परीक्षार्थी की प्रति प्राप्त कर मूल्यांकन कराकर परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

निर्णय 29 :– केन्द्राध्यक्ष, के0बी0 पी0जी0 कालेज मिर्जापुर द्वारा बी0एड0 परीक्षा–2015 के अनुक्रमांक–40514701023 की पंचम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका जो अनुचित साधन प्रयोग के आरोप में पकड़ कर संकलन केन्द्र को प्रेषित की गई थी उसके साथ किसी प्रकार का प्रपत्र अथवा अनुचित साधन सामग्री संलग्न न होने के कारण अनुचित साधन प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर विचार कर समिति ने सम्बन्धित परीक्षार्थी का परीक्षाफल रोकते हुए प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष से उक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया।

निर्णय 30 :– परीक्षा समिति के समक्ष एम0टी0ए0 के परीक्षार्थियों का प्रकरण विचारार्थ लाया गया जिसके सम्बन्ध में समिति ने उक्त परीक्षार्थियों से समस्त अभिलेख प्राप्त कर तद्नुसार पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

ह0
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

ह0
कुलपति

पत्रांक : प0गो0/10962/परीक्षा समिति/2014 तद् दिनांक : 27 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय कुलपति जी।
2. परीक्षा समिति के सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. कुलसचिव।
5. उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य/अनुचित साधन प्रकोष्ठ। ।
6. सहायक कुलसचिव– सम्बद्धता विभाग।
7. अधीक्षक–परीक्षा सामान्य/परीक्षा गोपनीय/समिति अनुभाग।
8. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर सम्बन्धित सूचना को जन साधारण के सूचनार्थ अपलोड कर दें।

ह0
परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव